औचित्य एवं आवश्यकता

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में झिमार बाजार से तल्ला विरल गांव तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरक राम जी के नाम मोटर मार्ग का निर्माण।(6.250 किमी.) (2.6802है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 1435/|||(2)/16–49 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 122.03.2016 के द्वारा 6.00 किमी. लम्बाई हेतु **रू0** 28.48 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। जिसकी वास्तविक लम्बाई 6.250 किमी. है। यह मार्ग विकास खण्ड सल्ट के अर्न्तगत पड़ता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम सभा विरल गांव मल्ला तथा विरल गांव तल्ला के अलावा अन्य ग्रामवासियों को भी आंशिक रूप से लाभ प्राप्त होगा इन गांव के लोग भी इस मोटर मार्ग के निर्माण से जुड़ेगें इन ग्राम सभाओं को आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ मिलेगा तथा तहसील मुख्यालय सल्ट एवं जिलामुख्यालय अल्मोड़ा के साथ– साथ रेल हैड रामनगर से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी। इस मार्ग के बनने से स्थानीय कास्तकारों द्वारा अपने खेतों में उगाई फसल, फल, सब्जी आदि को बाजार में विपणन हेतु सुविधा होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा। इस हेतु सिविल बेनाप भूमि 0.2925है0 तथा वन पंचायत 2.6802है0 कुल 2.6802है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता,	अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत